

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 83/2026

आयुष द्विवेदी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अंकित सिंह, गौरव कुमार हसानी, संजय कुमार, सौरभ कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव और प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान को सुना।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकारण को ग्राम- कनौसी, तहसील- सदर, लखनऊ, जिला- लखनऊ में स्थित भूमि गाटा संख्या 1606/2, क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर और गाटा संख्या 1612/2, क्षेत्रफल 0.3540 हेक्टेयर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है, जो 'ऊसर' भूमि के रूप में दर्ज है, और इसे इसके मूल सार्वजनिक उपयोग के रूप में बहाल करने की मांग की है।
3. रिट याचिका में यह दलील दी गई है कि उपर्युक्त भूमि राजस्व अभिलेख में 'ऊसर' भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन कुछ व्यक्ति इसका उपयोग कब्रिस्तान और श्मशान घाट के रूप में कर रहे हैं। 'ऊसर' के रूप में दर्ज सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर कुछ पक्की कब्रें बना दी गई हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने नगर आयुक्त आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर एक शिकायत की है, जिस पर संबंधित लेखपाल ने यह आख्या प्रस्तुत की है कि भूमि राजस्व अभिलेख में 'ऊसर' के रूप में दर्ज है। पिछले कई वर्षों से, इसका मुख्य रूप से श्मशान और कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इस संबंध में कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आई.जी.आर.एस. शिकायत के अनुक्रम में, लेखपाल ने यह आख्या प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि भूमि 'ऊसर' के रूप में दर्ज है, इसका उपयोग कब्रिस्तान/श्मशान घाट के रूप में किया जा रहा है, भूमि घनी आवासीय बस्ती में स्थित है, इसलिए बीमारी फैलने की आशंका है।

5. विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने उन्हें दिए गए निर्देशों के आधार पर दलील प्रस्तुत की हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ कब्रों को छोड़कर, विवादित भूमि पर कोई निर्माण उपस्थित नहीं है। विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि भूमि 'ऊसर' के रूप में दर्ज है न कि श्मशान घाट या कब्रिस्तान के रूप में।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आलमबाग में एक श्मशान घाट स्थित है, जो 'ऊसर' के रूप में दर्ज विवादित भूमि से मात्र लगभग 02 किलोमीटर दूर है।

7. जब राजस्व अभिलेख में भूमि की प्रकृति किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसके उपयोग का संकेत देते हुए दर्ज है तो उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। भूमि का उपयोग मात्र विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, राज्य सरकार की स्वीकृति के साथ ही परिवर्तित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब विचाराधीन भूमि 'ऊसर' के रूप में दर्ज है, तब कब्रिस्तान या श्मशान घाट के रूप में इसके उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि 'ऊसर' के रूप में दर्ज है और यह घनी आबादी वाली आवासीय बस्ती के बीच स्थित है।

8. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि विचाराधीन भूमि से उचित दूरी के भीतर दफनाने/श्मशान की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वैकल्पिक सुविधा के अभाव में विचाराधीन भूमि पर ऐसी गतिविधि जारी रखना अनिवार्य प्रतीत नहीं होता है।

9. इन परिस्थितियों में, घनी आबादी वाली बस्ती में स्थित 'ऊसर' भूमि का श्मशान घाट/कब्रिस्तान के रूप में उपयोग तब तक अनुमत नहीं किया जा सकता, जब तक कि विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में कोई निर्णय न लिया जाए।

10. तदनुसार, याचिका का *निस्तारण* विरोधी पक्षकारों को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में समुचित निर्णय लेने का निर्देश जारी करते हुए किया जाता है। यदि भूमि इसी रूप में दर्ज रहती है, तो विरोधी पक्षकार घनी आबादी वाली आवासीय बस्ती में स्थित विचाराधीन 'ऊसर' भूमि पर शव दफनाने/दाह संस्कार को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे। यदि अधिकारी भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने का निर्णय लेते हैं, ताकि उक्त भूमि पर दाह संस्कार और दफनाने की अनुमति दी जा सके, तो भूमि के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद चारदीवारी सहित पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि श्मशान/कब्रिस्तान क्षेत्र आवासीय बस्ती से अलग रहे।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 फरवरी, 2026

मु.